

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (SDO) चौहटन, जिला बाड़मेर

राजस्व आवेदन सं. 156/2018 अन्तर्गत धारा 111,128 एल.आर.एक्ट

वागाराम वगैरा बनाम देदाराम वगैरा

पीठासीन अधिकारी — श्री वीरमाराम, आर.ए.एस

प्रार्थीगण वकील — श्री जगदीश पोटलिया

विप्रार्थीगण वकील —

निर्णय

दिनांक —

प्रस्तुत प्रकरण में संक्षिप्त में तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थीगण ने प्रार्थना पत्र में कथन किया है कि सरहद मौजा पाबूदानपुरा, पटवार क्षेत्र गंगासरा, तहसील सेड़वा में खेत खसरा सं. 160 रकबा 00.09 बीघा, खसरा सं. 161 रकबा 164.00 बीघा स्थित है। प्रार्थीगण के खेत के पास विप्रार्थीगण उक्त खातेदारी भूमि के पड़ोसी है। जिनके खेत प्रार्थीगण के खेत के पड़ोस में स्थित होने के कारण बरसात के समय वक्त काश्त अक्सर विप्रार्थीगण सेढो को लेकर विवाद करते रहते हैं। प्रार्थीगण एवं विप्रार्थीगण के मध्य सीमा को लेकर विवाद बना रहता है। इस कारण प्रार्थीगण अपनी खातेदारी भूमि का सीमाज्ञान करवाकर पत्थरगड़डी पेमाईश एवं नेखमबन्दी करवाना चाहते हैं। प्रार्थीगण ने पेमाईश एवं नेखमबन्दी करने का निवेदन किया है। प्रार्थीगण की दरखास्त दर्ज कर विप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। आवेदन में वर्णित खसरों की पैमाईश रिपोर्ट हेतु तहसीलदार को लिखा गया। तहसीलदार से पैमाईश रिपोर्ट प्राप्त, शामिल पत्रावली किया गया। प्रार्थीगण के वक्त काश्त प्रार्थीगण व विप्रार्थीगण के मध्य सीमाओ को लेकर विवाद बना रहता है, इस कारण प्रार्थीगण अपनी खातेदारी भूमि की पेमाईश एवं नेखमबन्दी करवाना चाहते हैं। प्रार्थीगण विवादित भूमि के खातेदार काश्तकार राजस्व रेकॉर्ड में दर्ज होने के कारण प्रार्थीगण की दरखास्त स्वीकार किया जाना न्यायसंगत प्रतीत होता है।

अतः प्रार्थीगण की दरखास्त स्वीकार की जाकर विवादित भूमि सरहद मौजा पाबूदानपुरा, पटवार क्षेत्र गंगासरा, तहसील सेड़वा में खेत खसरा सं. 160 रकबा 00.09 बीघा, खसरा सं. 161 रकबा 164.00 बीघा, भूमि की नेखमबन्दी करने का आदेश दिया जाता है। नेखमबन्दी करने हेतु तहसीलदार सेड़वा को रुपये 500/- फीस पर कमीश्नर नियुक्त किया जाता है। कमीश्नर को निर्देश दिये जाते हैं कि वो दोनों पक्षों के रूबरू किसी मुस्तकील/स्थाई बिन्दु को आधार मानकर पैमाईश करे व भूमापक कर्ता को यह भी निर्देश दिये जाते हैं कि किसी सक्षम न्यायालय से स्थगन आदेश न हो तो वो दोनों पक्षों के रूबरू विवादित भूमि की मौके की स्थिति व कब्जे काश्त में परिवर्तन किये बिना, मुस्तकील/स्थाई बिन्दु को आधार मानकर पैमाईश करे व नेखमबन्दी कर पालना रिपोर्ट पेश करे वक्त पेमाईश हल्का पटवारी को साथ रखे। नेखमबन्दी के दौरान किसी बिन्दु को लेकर विवाद की स्थिति हो तो नेखम स्थापित नहीं किये जावे और उसकी मौका स्थिति की रिपोर्ट पेश करे। तहरीर जारी हो। कमीश्नर को कमीश्नर फीस प्रार्थीगण मौके पर अदा करेंगे।

कमीश्नर को आदेश दिया जाता है कि वे, प्रार्थीगण के खसरों की नेखमबन्दी विप्रार्थीगण की उपस्थिति में करावें एवं नेखमबन्दी के दौरान विप्रार्थीगण के हितों पर कुठाराघात न हो।

पत्रावली पालना रिपोर्ट प्राप्त होने पर पेश हो पत्रावली फौसला शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।
निर्णय आज दिनांक 27.08.19 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।



(Handwritten signature)

(वीरमाराम)

उपखण्ड अधिकारी, चौहटन

उपखण्ड अधिकारी

चौहटन

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (SDO) चौहटन, जिला बाड़मेर

क्रमांक/भू.अ./2019/

प्रार्थीगण :-

1.वागाराम 2.पुरखाराम 3.रूघाराम
पि. मोडाराम, जाति जाट,
निवासी पाबूदानपुरा
तहसील सेड़वा, जिला बाड़मेर।

दिनांक

विप्रार्थीगण:-

1. देदाराम 2.मूलाराम 3.पुरखाराम पि. जुगताराम
4.मिरगो पत्नि जुगताराम, जाति जाट
निवासी जोरापुरा, तहसील सेड़वा
5.गोकलाराम पुत्र कानाराम 6.सुखराम पुत्र भेराराम
जाति विश्नोई, निवासी पाबूदानपुरा
7.भगवानसिंह पुत्र भंवरसिंह, जाति राजपूत
निवासी पाबूदानपुरा, तहसील सेड़वा।

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111,128 राज.भू.राजस्व अधिनियम वास्ते करने नेखमबंदी बाबत।


राजस्व आवेदन सं. 156/2018

दिनांक : 27.08.19

आदेश

तहसीलदार सेडवा को भेजकर लेख है कि उपरोक्त प्रकरण में तहसील सेडवा, पटवार क्षेत्र गंगासरा के मौजा पाबूदानपुरा के खेत खसरा सं. 160 रकबा 00.09 बीघा, खसरा सं. 161 रकबा 164.00 बीघा भूमि के चारों तरफ पक्के नेखम स्थापित करने हेतु तहसीलदार सेडवा को कमिशनर नियुक्त किया जाता है। उक्त विवादित भूमि की पेमाईश आप अपने स्तर पर टीम गठित कर दोनों पक्षों को विधि सम्मत नोटिस के जरिये सूचित कर यदि किसी सक्षम न्यायालय का स्थगन आदेश न हो तथा किसी बिन्दु को लेकर विवाद की स्थिति न हो तो उपरोक्त भूमि की मौके की स्थिति व कब्जा काश्त में परिवर्तन किये बिना पेमाईश कर नेखमबंदी कर पालना रिपोर्ट 15 दिवस में अवश्य पेश करे। नेखमबंदी के दौरान किसी बिंदु को लेकर विवाद की स्थिति हो तो नेखम स्थापित नहीं किये जावे और उसकी मौका स्थिति की रिपोर्ट पेश करे।

नेखमबंदी के दौरान विप्रार्थीगण के हितो पर कुठाराघात न हों। प्रार्थीगण कमिशनर को कमिशनर फीश रुपये 500/- मौके पर अदा करेंगे।



क्रमांक/भू.अ./2019/

प्रतिलिपि :-

1. तहसीलदार सेडवा
2. प्रार्थीगण वागाराम वगैरा
3. विप्रार्थीगण देदाराम वगैरा
4. थानाधिकारी पुलिस थाना चौहटन/बीजराड़/सेड़वा/धौरीमन्ना/बाखासर

483-86

दिनांक

(Handwritten Signature)

(वीरमाराम)
उपखण्ड अधिकारी
उपखण्ड अधिकारी, चौहटन
चौहटन

27/8/19

(Handwritten Signature)

उपखण्ड अधिकारी
उपखण्ड अधिकारी
चौहटन
चौहटन